न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार RAS

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 111/2015

वादिनी

1. चुन्नी बाई पत्नि हरिराम पुत्री गोरधनराम उम्र 73 वर्ष जाति निवासी मोगड़ा कलां तहसील लूणी जिला जोधपुर

प्रतिवादीगण

1. रामाराम पुत्र स्व. गोरधनराम उम्र 70 वर्ष जाति पटेल निवासी मोगड़ा कला तहसील लूणी जिला जोधपुर
2. कानाराम पुत्र स्व. गोरधनराम उम्र 55 वर्ष जाति पटेल निवासी मोगड़ा कला तहसील लूणी जिला जोधपुर
3. चम्पा देवी पत्नि बालाराम पुत्री गोरधनराम उम्र 58 वर्ष जाति पटेल निवासी मोगड़ा कलां तहसील लूणी जिला जोधपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर

खातेदार घोषित करने हेतु घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु का वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. वादिनी की ओर से अधिवक्ता श्री शंकर चौधरी
2. प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापत
3. प्रतिवादी सं. 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक : 06/06/2022

वादिनी ने एक वाद बाबत् खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 क पेश कर कथन किया कि वादिनी के पिता स्व. गोरधनराम व गणेशराम कीसंयुक्त जमीन खेत खसरा नम्बर 12 क्षेत्रफल 103 बीघा, खसरा नम्बर 12/2 क्षेत्रफल 19 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 80 क्षेत्रफल 32 बीघा क्षसरा नम्बर 239 क्षेत्रफल 7 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 239/1 क्षेत्रफल 7 बीघा 4 बिस्वा कुल 5 खसरे तथा क्षेत्रफल 169 बीघा व 3 बिस्वा था। ग्राम मोगड़ा कला पटवार क्षेत्र मोगड़ाा कला, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ा विश्नोईयान, तहसील लूणी जिला जोधपुर में आया हुआ है। उक्त खसरों में गोरधनराम के हिस्सों में 84 बीघा 12 बिस्वा भूमि आती है जिस पर वह कब्जा काश्त करता था। उसके बाद गोरधनराम की मृत्यु हो गई तथा इनके चार सन्तान है दो लड़के तथा दो लड़कियां। बड़ी पुत्री चुन्नीबाई, पुत्र रामाराम, पुत्री चम्पादेवी व पुत्र कानाराम है। गोरधनराम की मृत्यु के बाद रामाराम व कानाराम ने पटवारी व राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर बिना जांच किये गलत तरीके से सम्पूर्ण जमीन का नामन्तरण अपने नाम दर्ज करवा लिया है जो विधि विरूद्ध है। जबकि प्रत्येक का हिस्सा 21 बीघा 03 बिस्वा आता है। वादिनी का खातेदारी अधिकार जन्म से ही था। जिस पर 21 बीघा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

03 बिस्वा हिस्सा वादिनी का आता है। जिसका प्रतिवादीगण द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा अपने नाम दर्ज करवाने का कोई हक, अधिकार नहीं है। राजस्व अभिलेखों में भी वादिनी के पिता गोरधनराम के नाम से उक्त खसरा खेत दर्ज था। वादिनी एक अनपढ़ गांव की महिला है। वादिनी के राजस्व अभिलेख में वादिनी का नाम दर्ज कराने हेतु कई मर्तबा प्रतिवादीगण से कहा मगर प्रतिवादीगण ने हमेशा ही कहा कि आपका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जबकि प्रतिवादीगण ने आज दिन तक राजस्व अभिलेख में वादिनी का नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं करवाया है तथा बाद में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने खसरा नम्बर 12/2 की जमीन बेच दी। अतः वादिनी के पास वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। बिनायदावा बह वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण ने वादिनी के हिस्से की जमीन बेच दी, इसकी सूचना वादिनी को मिलने पर वादिनी ने सम्बन्धित पटवारी से जानकारी चाही तब पटवारी ने तहसील कार्यालय से सम्बन्धित खसरों की जमाबंदी व गिरदावरी की प्रमाणित प्रति लेने के सलाह दी जिस पर वादिनी ने प्रमाणित प्रतिलिपियां दिनांक 08.09.2008 को प्राप्त की, उस दिन बमुकाम शहर जोधपुर में उत्पन्न हुआ। अतः वादिनी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आज्ञाप्ति बह वादिनी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की पारित कर यह घोषणा की जावे कि वादिनीका हिस्सा 1/4 (रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा) खसरा नम्बर 12, 12/2, 80, 239, 239/1 में गांव मोगड़ा कलां, तहसील लूणी जिला जोधपुर उक्त खसरों में पूर्व का नामान्तरण निरस्त कर अपने हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने का न्यायोचित आदेश फरमावें। स्थायी निषेधाज्ञा इसआश्य की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 उपरोक्त खसरान में किसी प्रकार का हस्तक्षेप व भूमि अन्तरित नहीं करें। जहां तक वादग्रस्त जायदाद का निस्तारण नहीं हो सम्पति का किसी को अन्तरण नहीं करे। खर्चा मुकदमा वादिनी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। अन्य दादरसी जो वादिनी के पक्ष में हो, सादिर फरमायें जावे।

वादिनी के वाद को दर्ज रजिस्टर कर संबंधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने अपने विद्वान अधिवक्ता के जरिये जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वादिनी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है जो विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल पेश किये जाने के कारण पोषणीय नहीं है। उक्त वर्णित खसरान में वादिनी के पिता का 1/2 हिस्सा होना तथा 1/2 हिस्सा गुणेशराम का होना एवं पिता की भूमि में से 1/4 हिस्सा वादिनी का होने के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं मयाद अधिनियम के प्रतिकूल होने तथापिता की मृत्यु होने के 22 वर्षों के पश्चात पेश किया गया है। वादिनी स्वयं

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

की उम्र वर्तमान में 65 वर्ष हो चुकी है। इस प्रकार वादिनी का वाद म्याद बाहर होने के कारण पोषणीय नहीं है। वादिनी की शादी के समय पिता द्वारा पिता के जीवनकाल में ही दान दहेज दे दिया गया था पिता की मृत्यु हुए 22 वर्ष के पश्चात दावा पेश किया गया है जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण वादिनी का वाद पोषणीय नहीं है एवं न ही वादिनी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई एक हिस्सा पाने की हकदार है। वादिनी की शादी हुए 45 वर्षों से ज्यादा होने के पश्चात एवं वादिनी के पिता की मृत्यु हुए 22 वर्षों से ज्यादा समय हो जाने के पश्चात वादिनी द्वारा केवल प्रतिवादीगण उत्तरदाता को हैरान एवं परेशान करने की नियत से यह दावा बाबत् खातेदारी अधिकारों की पोषणीय नहीं हैं। वादिनी द्वारा उक्त तथाकथित पैतृक कृषि भूमि के सम्बन्ध में पिता के समय में कोई दावा पेश नहीं किया गया है बल्कि वर्तमान में यह दावा पेश किया गया है जो गलत आधारों पर पेश किया गया हुआ होने से निरस्तनीय है। वादिनी द्वारा पेश वाद पत्र सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार द्वितीय प्रति में पेश नहीं किये जाने के कारण वादिनी का विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। वादिनी द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 को नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी का दिये बगैर पेश किया गया है जबकि प्रतिवादी संख्या 4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी को पक्षकार बनाया जाकर दावा पेश किया गया है जिसको नोटिस दिया जाना एवं विधि के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक है। नोटिस के अभाव में वादिनी का वाद पोषणीय नहीं है काबिले निरस्तनीय है। उक्त वर्णित खसरान की भूमि के सम्बन्ध में वाद पत्र के साथ कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है बल्कि वादिनी द्वारा वर्तमान कृषि भूमि सम्बन्धी दस्तावेजात पेश किये गये है जिससे यह कहना सही नहीं है कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि वादिनी के पिता व चाचा की है। वादिनी द्वारा वर्णित पिता के हिस्से में 84 बीघा 12 बिस्वा भूमि आना एवं उस पर वादिनी के पिता का कब्जा काश्त होना बताया गया है जो सही है। लेकिन वादिनी द्वारा उक्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हुए होने से गलत होने से अस्वीकार है। वादिनी के पिता गोरधनजी द्वारा अपने जीतेजी वादिनी को आज से 45 वर्ष पहले एवं प्रतिवादी संख्या 3 को 24 वर्ष पहले शादी कर दी गयी थी एवं शादी के समय ही पिता गोरधनजी द्वारा हैसियत अनुसार दान दहेज, हक हिस्सा दे दिया गया था अब वादिनी का प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 उत्तरदाता की सम्पत्ति में कोई हक हिस्सा नहीं है केवल वादिनी द्वारा दूसरो के बहकावे में आकर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 उत्तरदाता को हैरान एवं परेशान करने की नियत से यह दावा पेश किया गया है गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलकर पिता की फैतेदगी म्युटेशन में गलत तरीके से इन्द्राज नहीं करवाया गया है। वादिनी द्वारा पिता फौतेदगी म्युटेशन में किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज नहीं किया है न ही

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

उक्त नामान्तरण के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है केवल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उत्तरदाता को हैरान एवं परेशान करने की नियत से यह कार्यवाही की जा रही है जो विधि विरूद्ध होने से वादिनी का वाद निरस्तनीय है न ही वादिनी का उक्त कृषिं भूमि में कोई हक व हिस्सा ही है। वादिनी किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है एवं न ही राजस्व अधिकारियों से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी है। ऐसी अवस्था में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उक्त कृषि भूमि में से खसरा नम्बर 12/2 की जमीन को बेचने का विधिक अधिकार प्राप्त है। वादिनी कृषि भूमि सरहद मौजा मोगड़ा कलां के खसरा नम्बर 12, 12/6, 80, 239, 239/1 में से 1/4 हिस्सा यानि 21 बीघा 03 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है न ही नामान्तरकरण निरस्त करवाने की अधिकारी है। अतः प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि जवाब दावा न्याय हित में स्वीकार फरमाया जावे एवं वादिनी का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावे। अन्य उचित आदेश बहक प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 उत्तरदाता एवं विरूद्ध वादिनी हो पारित फरमावे। जवाब प्राप्त होने के पश्चात पत्रावली में निम्नानुसार तनकियात कायम की गई –

1. आया वादिनी स्व. गोरधनराम की जायन्दा पुत्री है – जिम्मे वादिनी
2. आया वादिनी चुन्नीबाई का विवादित आराजी में विधिनुसार 1/4 हिस्सा बनता है और जिसके तहत विवादित आराजी में से उसके हिस्से में रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा भूमि आती है। – जिम्मे वादिनी
3. आया वादिनी द्वारा 22 साल बाद दावा पेश करने के कारण से अथवा दान – दहेज देने से उसके पिता की पुश्तैनी कृषि भूमि में से हिस्सा समाप्त हो जाता है। – जिम्मे प्रतिवादी
4. आया प्रतिवादीगण वादीनी/सहहिस्सेदार की बिना सहमति के अविभाजित पैतृक भूमि को हस्तांतरित कर सकते है – जिम्मे प्रतिवादी
5. आया वादीनी किसी प्रकार की घोषणा कराने व निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है – जिम्मे वादिनी
6. अनुतोष।

तनकीयात कायम पर उभयपक्षकारन को सुना गया तथा न्यायालय प्रत्येक बिन्दु पर मनन करने के पश्चात दावा डिक्री किया गया।

दावा डिक्री करने के बाद प्रतिवादीगण ने माननीय RAA में अपील प्रस्तुत कर दी जो सुनवाई कर मामले को प्रतिप्रेषित कर दिया RAA के निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल में अपील पेश की गयी माननीय राजस्व मण्डल ने उभय पक्षकारों को सुनने के पश्चात दिनांक 08.08.2015 के द्वारा निस्तारित करते हुए

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

यह स्पष्ट आदेश/निर्देश दिया गया है कि दोनो पक्षकारान को निर्देश दिया जाता है कि वे 17.09.2015 को उपखण्ड अधिकारी लूणी के न्यायालय में उपस्थित होगे। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पुनः नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। उपखण्ड अधिकारी दावा संख्या 243/09 चुन्नीबाई बनाम रामासम आदि की फर्द अहकाम दिनांक 11.10.2011 से आगे कार्यवाही करते हुए यथाशीघ्र दावा पुनः निर्णय करे। इस पर माननीय उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा मामले को दर्ज कर सुनवाई प्रारम्भ की माननीय राजस्व मण्डल के आदेश अनुसार 17.09.2015 को वादिनी मय अधिवक्ता उपस्थित हुई परन्तु प्रतिवादी व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। न्यायालय द्वारा अनेक बार अवसर देने के बाद भी वादिनी की जिरह नहीं की गयी। न्यायालय द्वारा वादिनी अधिवक्ता द्वारा इसका पूरजोर विरोध किया गया। कि मामले को बिना कारण लम्बा कर रहे है। वादिनी ने जीवन काल में निर्णय होना चाहिए इस पर प्रतिवादी ने अपने दूसरा अधिवक्ता नियुक्त कर लिया है। इस तरह मामले को लम्बा किया गया प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आदेश 14 नियम 5 CPC का प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पर दिया गया जिसे स्वीकार कर लिया गया।

"आया विवादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जे के अभाव में वादिनी का वाद घोषणा बाबत पोषणीय नहीं है।" तनकियात कायम की गई।

प्रतिवादी द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र असंयोजन व कुसंयोजन का पेश किया गया। जो माननीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को सुनने के पश्चात खारिज कर दिया गया। इसके बाद भी प्रतिवादी द्वारा वादिनी की प्रतिपरीक्षा नहीं की गई। तब न्यायालय ने वादिनी की साक्ष्य बन्द कर प्रतिवादी साक्ष्य हेतु रखा गया परन्तु प्रतिवादी ने अपनी साक्ष्य पेश नहीं की। वादिनी अधिवक्ता द्वारा पुरजोर विरोध करने पर कि वाद प्रतिप्रेषित होने के सात वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है और राजस्व मण्डल के आदेश की पालना नहीं हो रही है। इस पर न्यायालय ने प्रतिवादी साक्ष्य बंद कर दी। पत्रावली वास्ते बहस रख दी।

उभय पक्षकारो को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूतो पर तनकीयात के मध्य विचार किया गया।

तनकियात नं. 1 वादिनी स्व. गोरधनराम की जायन्दा पुत्री है। यह साबित करने का दायित्व वादिनी पर था। वादिनी द्वारा अपने दावे में लिखे गये सजरा खानदान को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया। वादिनी के साक्ष्य शपथपत्र का किसी भी रूप में खण्डन नहीं किया गया क्योंकि वादिनी से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

अतः यह तनकी वादिनी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती

तनकी संख्या 2 विवादगस्त आराजी में वादिनी का 1/4 हिस्सा है यह सिद्ध करने का दायित्व वादिनी का था। वादिनी ने अपने शपथपत्र में प्रदर्श 1 से 5 प्रस्तुत

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

करके अपने दावे को प्रभावी रूप से सिद्ध किया है तथा प्रतिवादीगण ने इसका किसी भी प्रकार से खण्डन नहीं किया है। अतः तनकी वादिनी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 3 दावा 22 साल बाद पेश करने के कारण वादिनी का पुश्तैनी भूमि में हिस्सा समाप्त हो जाता है यह दायित्व साबित करने का प्रतिवादी पर था।

धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा का दावा लाने का कोई समय सीमा निर्धारित नही है। अपनी पुत्री के दान दहेज विवाह से खर्चा करने के आधार पर पुश्तैनी सम्पति में उसके अधिकारों का अवसान नहीं होता है। दान दहेज देने का साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अतः तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 4 वादिनी/सहहिस्सेदार की बिना सहमति के अविभाजित पैतृक भूमि हस्तान्तरित की जा सकती है। साबित करने का दायित्व प्रतिवादीगण पर थां।

जो प्रतिवादीगण साबित करने में असमर्थ रहे।

वादिनी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह साबित करने का प्रयास किया कि विधि का सिद्धान्त है कि अविभाजित पैतृक सम्पति को बिना सह हिस्सेदार की सहमति के उसके हिस्से हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है।

अतः तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 5 सिद्ध करने का दायित्व वादिनी पर था।

वादिनी यह सिद्ध करने में सफल रही कि वह स्व. गोरधनराम की जायन्दा पुत्री है। प्रतिवादीगण ने सजरा खानदान स्वीकार किया है। विधिक प्रावधानों के अनुसार वादिनी विवादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारीणी है। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने की अधिकारीणी है यह सिद्ध करने में वादिनी सफल रही है।

अतः तनकी वादिनी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 6 आया विवादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जे के अभाव में वादिनी का वाद घोषणा बाबत पोषणीय नहीं है साबित करने का दायित्व प्रतिवादीगण पर था। वादिनी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि भाई बहिनो के वाद में कब्जा सभी का जन्म से ही माना जाता है तथा कब्जे के आधार पर दावा पोषणीय या अपोषणीय नहीं होता है। यह सर्वमान्य सिद्धान्त है। अतः तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

समस्त विवेचन के आधार पर तथा पत्रावली के अवलोकन के पश्चात वादिनी का वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते खातेदारी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद डिक्री किया जाता है। अतः वादिनी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है।

तथा वादिनी का विवादग्रस्त आराजी खेत खसरा नं. 12, 12/2, 80, 239/1, 239 में 1/4 हिस्सा अर्थात 21 बीघा 3 बिस्वा राजस्व गांव मोगड़ा कल्ला तहसील लूणी, जिला–जोधपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादिनी के हक व हिस्से में किसी भी तरह से हस्तक्षेप न करे न ही उक्त आराजी का किसी भी रूप में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधी के माध्यम से बेचान हस्तान्तरण करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

06/06/22

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
(... RAS)
सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी लूणी

अतः निर्णय आज दिनांक 6/6/2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया,

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी